# बेलवारी नगरपालिका
# विपद् जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७४

*प्रमाणीकरण मिति : २०७४।९।२*

## प्रस्तावना :

विपद् जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले नेपाल संसार कै एक संवेदनशिल देशहरु मध्ये एक हो । अव्यवस्थित बसाई सराई, जथाभावी वन फडानी तथा अतिक्रमण, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, कृषिमा अधिक चाप, जनसंख्याको बढदो चाप, अव्यवस्थित शहरिकरण, जनचेतनाको कमी जस्ता कारणले हरेक बर्ष हुने बाढी पहिरो, महामारी, झाडापखाला, अनिकाल, आगलागी, भूकम्प, र सडक दुर्घनामा परी वर्षौनी हजारौ मानिसहरुको मृत्यु भई रहेको छ । यस्ता प्रकारका विपद् जोखिमबाट जिउ धनमाथि भएको क्षति न्यूनिकरण गर्न वान्छनीय भएकोले,

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बेलवारी नगरकार्यपालिकाले यो निर्देशिका बनाएकोछ ।

## भाग–१ (एक)
## संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

क) यस निर्देशिकाको नाम"विपद जोखिम व्यवस्थापन निदेर्शिका, २०७४" रहनेछ ।

ख) यो निदेर्शिकातुरुन्त लागू हुनेछ ।

### २. परिभाषा :

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देर्शिकामा,

क) "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई सम्झनुपर्छ ।

ख) "विपद् जोखिम व्यवस्थापन समिति" भन्नाले दफा ४ बमोजिम गठन भएको समितिलाईसम्झनु पर्छ ।

ग) "टोल विकस संस्था" भन्नाले नगरपालिकाकोनिश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रका टोल/वस्ती स्तरमा रहेका घरपरिवारका सदस्यहरुवाट सेवा र पँहुच अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले गठन भएको टोलमा आधारित संस्थाहरुलाई सम्झनुपर्छ ।

घ) "योजना" भन्नाले दफा ८ बमोजिम तर्जुमा हुने विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजनालाई सम्झनु पर्नेछ ।

ङ) "गैर सरकारी संस्था"भन्नाले यस कार्यविधिको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका र बेलबारी नगरसभाबाट आफ्नो कार्यक्रम स्वीकृत गराई नगरपालिकासँग समन्वय गरी कार्य सञ्चालन गर्ने गैरनाफामुलक संस्थालाई सम्झनुपर्छ ।

च) "कोष" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कोषलाई सम्झनु पर्छ ।

### ३. उदेश्य :

क) विपद्मा परेका पिडीतलाई उद्धार र पुर्नःस्थापना गर्ने कार्यका लागि सबै सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सहयोग र जनसहभागिता जुटाउने ।

ख) विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नक्साङ्कन, क्षमता र जोखिम विश्लेषणको अवधारणा अनुरुप नगरपालिका स्तरिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने ।

घ) विपद्बाट पिडित पक्षलाई आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नका लागि तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने ।

ङ) विकास निर्माण तथा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु अघि वातावरणमैत्री प्रणालीमा जोड दिने ।

च) विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्ने ।

छ) नगरपालिकाको विकास प्रकृयामा विपद्जोखिम व्यवस्थापनलाई मूलप्रवाहिकरण गर्ने ।

## भाग - २(दुई)
## व्यवस्थापन समिति गठन

### ४.विपद् जोखिम व्यवस्थापन समिति गठनः

बेलबारी नगरपालिका स्तरिय विपद् जोखिम व्यवस्थापनसमितिको गठन देहाय बमोजिम गरिनेछ :

| | | |
|---|---|---|
| (क) | नगर प्रमुख | अध्यक्ष |
| (ख) | नगर उपप्रमुख | सदस्य |
| (ग) | संयोजक, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति | सदस्य |
| (घ) | नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सुरक्षा निकाय प्रमुख वा प्रतिनिधिहरु | सदस्य |
| (ङ) | नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, निजी क्षेत्र, स्थानीय गै.स.स, सामुदायिक संस्था, समाजसेवी, बुद्धिजिवीहरु मध्ये समितिले तोकेको महिला र दलित सहित ३ जना | सदस्य |
| (च) | उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि | सदस्य |
| (छ) | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | सदस्य |
| (ज) | प्रमुख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा | स-सचिव |

### ५.समितिको काम कर्तब्य र अधिकार :

समितिको देहाय बमोजिमको काम कर्तब्य र अधिकार हुनेछ :

क) नगरपालिका क्षेत्रको विपद् जोखिम ब्यवस्थापन योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने ।

ख) नगरपालिका स्तरका कर्मचारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिलाई विपद्सम्वन्धी तालिम, प्रशिक्षण दिने वा दिने ब्यावस्था मिलाउने ।

ग) विपद् ब्यवस्थापनको लागि बार्षिक बजेको ब्यवस्थापन गर्ने ।

घ) विपद्को अबस्थामा वा विपद् जोखिम न्युनिकरण गतिविधिमा बजेट परिचालन तत्कालै हुने व्यवस्था मिलाउने ।

ङ) नगरपालिका भित्रका भौतिक संरचना निर्माण प्रकृयामा सरकार तथा प्रदेश स्तरबाट लागू भएका नीति निर्देशन कार्यान्वयन गराउने ।

च) सबै सरोकारवालको सहभागितामा विपद् व्यवस्थापन योजना, आपतकालिन कार्ययोजना, पुर्नःस्थापना तथा पुननिर्माण योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।

छ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहतको व्यवस्थागर्ने ।

ज) नगरपालिका स्तरको प्रकोप जोखिम नक्सा बनाउने ।

झ) विकास निर्माणका योजनामा विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्युनीकरणका अवधारणलाई मूलप्रवाहिकरण गर्ने गराउने तथा त्यससँग सम्वद्ध कार्य गर्ने ।

ञ) टोल स्तरमा गठन भएका टोल विकास संस्थाहरुलाई नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा आबद्धता गराई विपद् व्यवस्थापनमा समेत संलग्न गराई क्रियाशिल गराउने ।

ट) जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय टोल विकास संस्था र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुलाई सहयोग पुर्‌याउने ।

ठ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना तथा क्षमता अभिबृद्धि कार्य गर्ने गराउने ।

ड) विपद् व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समावेशी र सहभागितामुलक बनाउन निम्न अनुसारका अर्न्तनिहीत क्षेत्रलाई प्राथमिकामा राख्ने प्रत्याभूती गर्ने । लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिकरण, अपाङ्गता तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच, जीविकोपार्जनका वैकल्पिक क्षेत्रको पहिचान र पछाडि पारिएका वर्गको पहुँच, प्रभावित समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण, प्रतिकार्यमा न्यूनतम मापदण्डको सुनिश्चितता गर्ने ।

ढ) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गै.स.स. र दातृ निकायसँग समन्वय गरी विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने ।

## ६. कोषः

यस निर्देशिका अधिनमा रहि विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न " बेलबारी नगरपालिका विपद् व्यवस्थापनकोष " को स्थापना गरिने छ । कोष संचालन कार्यविधि छुट्टै लागु गरिने छ ।

## ७. समितिको बैठक

क) समितिको बैठकका लागि ५१% सदस्यको उपस्थिती लाई गणपुरक संख्या मानिने छ ।

ख) व्यवस्थापन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा पनि बस्न सकिने छ ।

ग) समितिका पदाधिकारीले बैठक बसेको दिन नगरपालिकाले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

# भाग - ३ (तीन)
# योजना तर्जुमा

## ८. योजना तर्जुमा :

योजना तर्जुमाका लागि बिज्ञहरु सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ । बेलवारी नगरपालिकाको विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्दा तपसिलका विषय र प्रकृया अवलम्वन गरिनेछ ।

क) सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन र सङ्कटासन्नता तथा क्षमता बिश्लेषण तालिम अनुसुचि ३ बमोजिम हुनेछ ।

ख) विपद्का कारण र क्षतिको विवरण अनुसुचि ४ बमोजिम विश्लेषण हुनेछ ।

ग) सङ्कटासन्नता र क्षमता बिश्लेषण औजारहरुको प्रयोग अनुसुचि ५ बमोजिम हुनेछ ।

घ) समुदाय तथा वडाहरुको सङ्कटासन्नता तथा क्षमता बिश्लेषण अनुसुचि ६ बमोजिम हुनेछ ।

ङ) सङ्कटासन्नता, क्षमता तथाजोखिम बिश्लेषण प्रतिवेदन तयारी अनुसुचि ७ बमोजिम हुनेछ ।

च) जोखिम व्यवस्थापन क्रियाकलापको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण अनुसुची ८ बमोजिम हुनेछ

छ) स्थानीय विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा अनुसुचि ९ बमोजिम हुनेछ ।

## भाग चार
## विविध

**९. अनुगमनः** यो कार्यविधि अनुसार भएगरेका कामको अनुगमन नगरकार्यपालिकाको हुनेछ ।

**१०. प्रतिवेदनः**यो कार्यविधि अनुसार संचालित कार्यहरुको प्रतिवेदन नगरकार्यपालिको बैठकमानगरसभा हुनुभन्दा पहिले पेश गर्नुपर्नेछ ।

**११. संशोधन तथा परिर्माजन** :यस कार्यविधिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नगरकार्यपालिकाले संशोधन गर्न सक्नेछ ।

**१२. बचाउ तथा खारेजी :** यस कार्यविधिमा व्यवस्था भएका कुराहरु, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै ऐन तथा नियमसँग बाँझिएको हदसम्मखारेज हुनेछ ।

अनुसूची-१
(दफा ४ सँग सम्बन्धित)
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको संरचना, काम, कर्तव्य तथा अधिकार

## १.१ नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन

| क्र. सं. | प्रतिनिधित्व | पद | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | नगर प्रमुख | अध्यक्ष | नोट : स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दा नगरपालिकाको संरचनामा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिनेछ । |
| २ | वडाध्यक्ष मध्येबाट नगर कार्यपालिकाले मनोनयन गरेका तीनजना वडाध्यक्ष | सदस्य | |
| ३ | विपद् परेका वडाको वडाध्यक्ष | सदस्य | |
| ४ | वडा सदस्यहरूमध्येबाट नगर कार्यपालिकाले मनोनयन गरेका दुईजना वडासदस्यहरू | सदस्य | |
| ५ | राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलका नगर समितिस्तरीय प्रतिनिधि बढीमा ७ जना | सदस्य | |
| ६ | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, सामाजिक सङ्घसंस्था वा प्रतिष्ठित समाजसेवीमध्ये नगर कार्यपालिकाबाट मनोनित गरेका ४ जना ( यसमा महिला र दलित अनिवार्य रूपमा हुनु पर्नेछ) | सदस्य | |
| ७ | स्थानीयस्तरमा उपलब्ध विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञमध्ये नगरकार्यपालिकाबाट मनोनयन गरेका दुई जना | सदस्य | |
| ८ | नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख | सदस्य सचिव | |

## १.२ नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार

विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिले समेत स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुनेछ :

- नगरपालिका क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नु,
- जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र गाउँस्तरमा गठन हुने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य समिति तथा उपसमितिलाई सहयोग पुऱ्याउनु,
- नगरपालिका तथा वडास्तरका कर्मचारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई विपद्सम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण दिने वा दिने व्यवस्था मिलाउनु,
- विपद् व्यवस्थापनका लागि नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु,
- विपद् व्यवस्थापनको लागि वार्षिक बजेट छुट्याउनु,
- विपद्को अवस्थामा वा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधिमा बजेट परिचालन तत्कालै हुने व्यवस्था मिलाउनु,

- नगरपालिकाको भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रियामा सरकार तथा जिल्ला स्तरबाट लागू भएका नीतिनिर्देशन कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु,
- सबै सरोकारवालाको सहभागितामा विपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कार्ययोजना, पुर्नस्थापना तथा पुनर्निर्माण योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु,
- विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहतको व्यवस्था गर्नु,
- नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज तयार गर्नु,
- विपद्बाट विस्थापित समुदायलाई पुर्नस्थापना गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्ने,
- नगरपालिका तथा वडास्तरको प्रकोप जोखिम नक्सा बनाउने,
- विकास निर्माणका योजनामा विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका अवधारणालाई मूलप्रवाहीकरण गर्नु पर्नेछ, गराउने तथा त्यससँग सम्बद्ध कार्य गर्नु पर्नेछ,
- सामुदायिक प्रकोप व्यवस्थापन समितिहरूलाई नगरपालिकामा आबद्ध गराई तिनको सूची कायम गरी समितिहरूका कार्यक्रमलाई सघाउने,
- विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्य गर्ने, गराउने,
- विपद् व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन निम्नानुसारका अन्तर्निहीत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रत्याभूति गर्ने
- लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, आपङ्गता तथा सीमान्तीक्रित समुदायको पहुँच, जीविकोपार्जनका वैकल्पिक क्षेत्रको पहिचान र पछाडि पारिएका वर्गको पहुँच,
- प्रभावित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण,
- स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम सरकार, जिल्ला दैवी प्रकोप तथा उद्धारसमिति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायसँग समन्वय गरी विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

## अनुसूची–२

(दफा ८ सँग सम्बन्धित)

## योजना तर्जुमा कार्यदलको काम, कर्तव्य तथा अधिकार

१ योजना तर्जुमा प्रक्रियमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला समन्वय समिति, नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति लगायत अन्य सरोकारवाला र निकायसँग नियमित समन्वय गरी सुझाव लिने ।

२. नगरपालिका तथा वडास्तरमा सञ्चालन गरिने सहभागितामूलक सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क तथा सूचना सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्ने ।

३ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला समन्वय समिति र विषयगत कार्यालय, नगरपालिकाको दस्तावेजहरू अध्ययन गरी आवश्यक द्वितीय सूचना सङ्कलन, परीक्षण र विश्लेषण गर्ने ।

४. नगरस्तरीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्न अपनाइने प्रक्रिया र विधिबाट प्राप्त सूचना र तथ्याङ्को आधारमा समुदाय, वडा र नगरपालिकास्तरमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने ।

५. योजना तर्जुमा प्रक्रियाको हरेक चरणमा विपद् प्रभावित तथा सङ्कटासन्न समुदायका प्रतिनिधि, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तथा सबै जातजाति र वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउने ।

६ समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समिति तथा पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक ठानिएका कार्यदलहरू गठन गर्न सहजीकरण गर्ने ।

७. जिम्मेवारी सहितको कार्यतालिका तयार गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने ।

८. सबै प्रक्रिया र विधि पूरा गरी तयार भएको स्थनीय विपद् व्यवस्थापन योजना स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्ने ।

अनुसूची-३

(दफा ८ (क) सँग सम्बन्धित)

सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन र सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषण तालिमको विषयवस्तु

समय तालिका :

| **सेसन** | **कार्यक्रम** | **समय** |
|---|---|---|
| पहिलो दिन | | |
| ० | सहभागी आगमन/दता | ० |
| १ | तालिमको उद्देश्य, सहभागीबीच परिचय, तालिमका नियम र समूह निर्माण | १ घण्टा |
| २ | विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने शब्दावली | १:३० घण्टा |
| ३ | प्रकोपको परिचय, प्रकार, कारण र प्रभाव | १:३० घण्टा |
| ४ | विपद् व्यवस्थापन : आवश्यकता तथा महत्व र विपद् व्यवस्थापन चक्र | १:३० घण्टा |
| ५ | विपद् जोखिम व्यवस्थापन (विपद् पूर्व तथा विपद्छि) | १:३० घण्टा |
| दोश्रो दिन | | |
| ६ | सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन : परिभाषा, इतिहास र आवश्यकता | १:३० घण्टा |
| ७ | समुदायमा आधारित अवधारणा, सामाजिक समावेशीकरणका लागि अन्तरर्निहित सवाल | १:३० घण्टा |
| ८ | समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापनका प्रक्रिया | १:३० घण्टा |
| ९ | समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापनका औजार तथा विधिहरू | १:३० घण्टा |
| १० | स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना, उद्देश्य, महत्व र तर्जुमा प्रक्रिया | १ घण्टा |
| तेश्रो दिन | | |
| ११ | सङ्कटासन्नता, क्षमता र जोखिम विश्लेषणको अवधारणा, प्रक्रियाबारे जानकारी | १:३० घण्टा |
| १२ | सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषणका औजार र तिनको प्रयोगविधि | ३ घण्टा |
| १३ | समुदाय तथा वडातहका सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन विधि | १ घण्टा |
| १४ | सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषण प्रतिवेदनको | १ घण्टा |

| | | |
|---|---|---|
| | ढाँचाबारे छलफल | |
| १५ | स्थलगत कार्य तथा अभ्यासबारे छलफल र तयारी | ३० मिनेट |
| चौथो दिन | | |
| ० | सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषणका लागि कार्यक्षेत्र प्रस्थान | १ घण्टा |
| १६ | औजारको प्रयोग विधिबारे समूहमा अभ्यास<br>प्रकोपको सूचीकरण र स्तरीकरण, प्रकोप पात्रोको तयारी, विपद्को ऐतिहासिक समयरेखा तयारी, सामाजिक नक्सा तयारी, समस्या वृक्ष विश्लेषण, धरातलीय हिँडाइ,<br>संस्थागत विश्लेषण वा रोटी चित्र, लक्षित समूह छलफल, गतिशीलता नक्सा, प्रत्यक्ष अवलोकन | ७ घण्टा |
| पाचौ दिन | | |
| २ | अभ्यासको नतिजा लेखन र प्रतिवेदन तयारी समूह काय | ४ घण्टा |
| ३ | प्रतिवेदन प्रस्तुती तथा छलफल र सहमती | ३ घण्टा |
| ४ | कार्ययोजना तयारी र समापन । | ३० मिनेट |
| | | |

स्रोत : नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन तालिम निर्देशिका तथा सङ्कटासन्नता तथाा क्षमता विश्लेषण औजार र अक्सफाम, एक्सनएड र अन्य संस्थाका सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषण हाते पुस्तिकाहरूबाट परिमार्जनसहित एकीकृत रूपमा तयार गरिएको ।

नोट : उपरोक्त समयतालिका तथा तालिम सेसन आवश्यकताअनुसार थपघट वा परिमार्जन गर्न सकिनेछ ।

## अनुसूची -४
## (दफा ८ (ख) सँग सम्बन्धित)
## विपद्का कारण र क्षतिको विवरण (विगत २५ वर्ष र पछिल्लो ५ वर्षको) :

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका : वडा : समुदाय : ..... प्रकोप : .....

| क्र. सं. | क्षतिको विवरण | अघिल्लो २५ वर्षको | पछिल्लो पाँच वर्षको | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ५ | ४ | ३ | २ | १ | जम्मा | पुष्ट्याइँका विधि |
| १ | मानवीय क्षति (मृत्यु) सङ्ख्या | | | | | | | | |
| | बिरामी/घाइत | | | | | | | | |
| २ | प्रभावित परिवार सङ्ख्या | | | | | | | | |
| ३ | पूर्णक्षति भएका घर सङ्ख्या | | | | | | | | |
| ४ | क्षति भएको जम्मा सम्पत्ति रु. | | | | | | | | |
| ४.१ | क्षति भएको व्यक्तिगत धनमाल (रु. हजारमा) | | | | | | | | |
| ४.२ | पुल | | | | | | | | |
| ४.३ | बाटो/सडक | | | | | | | | |
| ४.४ | विद्यालय | | | | | | | | |
| ४.५ | स्वास्थ्य चौकी | | | | | | | | |
| ४.६ | सामुदायिक भवन | | | | | | | | |
| ४.७ | क्षति भएको बाली (रु हजारमा) | | | | | | | | |
| ४.८ | क्षति भएको घरपालुवा पशु सङ्ख्या | | | | | | | | |
| | गाई | | | | | | | | |
| | भैँसी | | | | | | | | |
| | खसी तथा बाख्रा | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अन्य (खुलाउने) | | | | | | | | |
| ५ | खेतीयोग्य जमिनको क्षति ( विगाहा वा रोपनी) | | | | | | | | |
| ६ | विपद्बाट परेको सामाजिक प्रभाव | | | | | | | | |
| ६.१ | विपद्मा परी मानिस हराएको | | | | | | | | |
| ६.२ | विपद्का कारण भएका महिला हिंसा | | | | | | | | |
| ६.३ | वपद्पछि लुटपाट, हिंसा र अन्य सामाजिक अपराध | | | | | | | | |
| ६.४ | विपद्का कारण सामुदायिक संस्थाको निस्क्रियता | | | | | | | | |

नोट : सूचना सङ्कलन गर्दा हरेक प्रकोपको लागि अलग-अलग फारम प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अनुसूची-५
(दफा ८ (ग) सँग सम्बन्धित)
सङ्कटासन्नता र क्षमता विश्लेषण औजारहरू

## १. प्रकोप नक्साङ्कन तथा स्तरीकरण :

समुदाय तथा गाउँमा हुने विपद्जन्य घटना र जनधनको क्षतिका आधारमा प्रकोपको सूची तयार गरी बढी क्षतिकारक प्रकोपको स्तरीकरण गर्नु पर्नेछ । समुदाय र वडाका अलग अलग सूचीलाई एकीकरण गरेर नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिभित्र हुने प्रकोपको सूची र स्तर निर्धारण गर्न निम्नअनुसारको तालिका प्रयोग गर्नु पर्छ :

| प्रकोप | पहिरो | बाढी | आगलागी | हुरी वतास | महामारी | भूकम्प | हिमपात विष्फोट | शीतलहर | जनावर आतङ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पहिरो | | | | | | | | | |
| बाढी | | | | | | | | | |
| आगलागी | | | | | | | | | |
| हुरी वतास | | | | | | | | | |
| महामारी | | | | | | | | | |
| भूकम्प | | | | | | | | | |
| हिमपात विष्फोट | | | | | | | | | |
| शीतलहर | | | | | | | | | |
| जनावर आतङ | | | | | | | | | |
| जम्मा अंक | | | | | | | | | |
| स्तर | | | | | | | | | |

## २. प्रकोप पात्रो :

समुदाय वडा हुँदै नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिभित्र कुन समयमा कुन प्रकोप हुन्छ भनेर पत्ता लगाई त्यसको समयरेखा तयार गर्नु पर्छ जसलाई प्रकोप पात्रो भनिन्छ । यसको लागि निम्नअनुसारको तालिका तयार गर्नु पर्छ :

| प्रकोप | बैशाख | जेष्ठ | असार | श्रावण | भाद्र | अशोज | कार्त्तिक | मंसिर | पौस | मघ | फागुन | चैत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पहिरो | | | | | | | | | | | | |
| बाढी | | | | | | | | | | | | |
| आगलागी | | | | | | | | | | | | |
| हुरी वतास | | | | | | | | | | | | |
| महामारी | | | | | | | | | | | | |
| भूकम्प | | | | | | | | | | | | |
| हिमपात विष्फोट | | | | | | | | | | | | |
| शीतलहर | | | | | | | | | | | | |
| जनावर आतङ | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा अंक | | | | | | | | | | | | |
| स्तर | | | | | | | | | | | | |

## ३. ऐतिहासिक समय रेखा

समुदाय र नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिभित्र विगतमा कुन प्रकोपबाट कस्तो विपत्ति परेको थियो भन्ने जानकारी लिन विपद्को ऐतिहासिक समयरेखा तयार गरिन्छ । यसबाट प्रकोपको दोहोरिने अवस्था, त्यसले पुऱ्याउने क्षति तथा प्रभावको बारेमा जानकारी मिल्छ र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्रियाकलाप र कार्यसमय निर्धारण गर्ने आधार बनाउन सहयोग मिल्छ । अनुसूची-४ को सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने फारमलाई आधार मानेर समुदायमा विस्तृत छलफल गरी विपद्को ऐतिहासिक समयरेखा पत्ता लगाउनु पर्छ । यसको लागि निम्नअनुसारको फारम प्रयोग गर्नु पर्छ :

| **प्रकोपको प्रकार** : ..... | | |
|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **वर्ष** | **क्षतिको विवरण (मृत्यु, घाइते, क्षति ग्रस्त घर, बालीनाली, प्रभावित परिवार, विस्थापित परिवार, क्षति भएको भौतिक सम्पत्ति रु. क्षतिग्रस्त खेतीयोग्य भूमि अन्य सामाजिक प्रभाव)** |
| १ | | |
| | | |

## ४. सामाजिक स्रोत नक्साङ्कन र सङ्कटासन्नता तथा क्षमता पहिचान

समुदायमा रहेको ङ्कटासन्नता र क्षमता पहिचान गर्न समुदायभित्र रहेका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक सम्पदा, साधन, स्रोत आदि उल्लेख भएको सामाजिक नक्सा तयार गरी विश्लेषण गर्ने महत्वपूर्ण विधि हो । समुदायका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागितामा तयार हुने नक्सामा समुदायको अवस्थिति, खोला तथा नदीनाला, पोखरी, खेतीयोग्य जमिन, बाटो तथा सडक सञ्जालहरू, सामुदायिक भवनहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू, वनजङ्गल, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति भवन, बिजुली, सुरक्षित आश्रय स्थलहरू वा आश्रयस्थलका लागि उपयुक्त क्षेत्र, खानेपानी, सरसफाइको अवस्था स्पष्ट रूपमा देखिनेगरी तयार गर्नु पर्छ । यस विधिबाट प्राप्त सूचनाका आधारमासमुदाय र वडाको सम्पन्नता तथा सङ्कटासन्नता स्तरीकरण निम्नअनुसार गर्नु पर्नेछ :

### क. समुदायको सम्पन्नता स्तरीकरण

नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति : ..... वडा नं.: ..... समुदायको नाम :

| क्र. सं. | घरमूलीको नाम | सम्पन्नता स्तरीकरण (घरधुरी सङ्ख्या) | | | | पुष्टचाइ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अति विपन्न | विपन्न | मध्यम | सम्पन्न | |
| १ | | | | | | |
| .... | | | | | | |

### ख. वडा सम्पन्नता स्तरीकरण

प्रत्येक वडाका बस्तीको सम्पन्नता स्तरीकरणको एकीकृत तथ्याङ्कको आधारमा वडाको सम्पन्नता स्तरीकरण गर्नु पर्छ ।

नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति : वडा नं.

| **वडा नं.** | **सम्पन्नता स्तरीकरण (घरधुरी सङ्ख्या)** | | | | **पुष्टचाइ** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **अति विपन्न** | **विपन्न** | **मध्यम** | **सम्पन्न** | |
| १ | | | | | |
| .... | | | | | |

**ग. सम्पन्नता स्तरीकरणका सूचक :**

- **अति विपन्न परिवार** : आफ्नो उत्पादनले ३ महिनाभन्दा कम खान पुग्ने, बेरोजगार, ज्याला मजदुरी गर्नु पर्ने, कच्ची वा झुप्रो घरमा बसोबास गर्न बाध्य परिवार ।
- **विपन्न परिवार** : आफ्नो उत्पादनले ६ महिनासम्म खान पुग्ने, सामान्य नोकरी भएको, मध्यम खालको घर भएको परिवार ।
- **मध्यम परिवार** : आफ्नो उत्पादनले ९ महिनासम्म खान पुग्ने, अधिकृत तह भन्दा सानो जागिर भएको, मध्यम खालको घर भएको ।
- **सम्पन्न परिवार** : आफ्नो उत्पादनले पूरै वर्ष खान पुग्नेआम्दानी गर्न सक्ने, यापार वा उद्योग भएको, अधिकृत तह वा सोभन्दा उच्चतहको नोकरी भएको वा पेन्सन प्राप्त गर्ने, अर्धक्की वा पक्की घर भएको ।

घ. समुदायको पारिवारिक सङ्कटासन्नता स्तरीकरण

| जोखिमको अवस्था ( परिवार) | उच्च | | | मध्यम | | | न्यून | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | महिला | पूरुष | जम्मा | महिला | पूरुष | जम्मा | महिला | पूरुष | जम्मा |
| उमेरगत जनसङ्ख्या | | | | | | | | | |
| ०-५ वर्ष | | | | | | | | | |
| ६-१२ वर्ष | | | | | | | | | |
| १३-१९ वर्ष | | | | | | | | | |
| २०-५९ वर्ष | | | | | | | | | |
| ६० वर्ष माथि | | | | | | | | | |
| अपाङ्गता भएका व्यक्ति | | | | | | | | | |
| गर्भवती महिला | | | | | | | | | |
| बच्चालाई दूध खुवाउने महिला | | | | | | | | | |
| कुपोषित बालबालिका (५ वर्ष मुनिका) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुपोषित बालबालिका (५ देखि १२ वर्ष) | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | | | | | |

नोट- प्रत्येक समुदायका लागि अलग छुट्टाछुटै तालिका प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

## ५. समस्या वृक्ष विश्लेषण :

समुदायमा विपद्सम्बन्धी विद्यमन समस्याको उत्पत्ति, त्यसको कारण र प्रभाव विश्लेषण गर्न समस्या वृक्ष औजारको विधि प्रयोग गरिन्छ । यस विधिअन्तर्गत वृक्षको काण्डले समस्या, जराहरूले कारण र हाँगा तथा पातहरूले प्रभावको प्रतिनिधित्व गरेको मानी वास्तविकता पहिचान गरिन्छ । विपद्जन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न समस्याको मूलकारण पत्ता लगाउन यो औजारको प्रयोग हुन्छ । यस विधिबाट प्राप्त नतिजालाई निम्नअनुसार सूचीकरण गर्नु पर्छ :

| क्र.स | समस्या | समस्याको मूल कारण | समुदायमा परेको प्रभाव | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | | | | |
| | | | | |

## ६. धरातलीय हिडाइ :

सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषणका क्रममा सामाजिक नक्सा र समस्या वृक्ष विश्लेषणका नतिजाको पुनरावलोकन गर्नसमेत यो औजार प्रयोग हुन्छ । सङ्कटासन्नतायुक्त र सुरक्षित स्थान, भौगोलिक, सामाजिक संरचना, प्रकोपका घटनाबाट विगतमा भएको क्षतिको आँकलन, विपद् जोखिम व्यवस्थापनका अवसर र चुनौतीजस्ता विषयको अध्ययन गरिन्छ । धरातलीय हिँडाइका क्रममा प्राप्त नतिजालाई अन्या औजारको प्रयोगबाट प्राप्त नतिजालाई परीक्षणसमेत गर्न निम्नअनुसारको ढाँचामा सूचीकरण गर्नु पर्छ :

| क्र. सं. | हिँडाइ-क्षेत्र ( वडा, समुदाय, स्थान विशेष( | प्रमुख समस्या वा सङ्कटासन्नता | समस्याको कारक | उपलब्ध क्षमता | सङ्कटासन्नता र क्षमताबीच अन्तर वा खाडल | प्रभाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## ७. संस्थागत विश्लेषण वा रोटी चित्र :

विपद्को समयमा आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध गराउने सरकारी निकाय वा सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र अन्य मानवीय सेवा प्रदायक सङ्घसंस्था, वित्तीय संस्था, सहकारी, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र आदिको उपलब्धता, पहुँच र सम्बन्धको विश्लेषण गरिन्छ । यो औजारले समुदायको सामाजिक सम्बन्ध र क्षमताको स्तर मापन गर्छ । यस औजारको प्रयोगबाट समुदायले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सामाजिक संस्थाको सूची निम्नअनुसार तयार गर्नु पर्छ :

| क्र.स | पहुँच कायम रहेका समुदायका व्यक्ति तथा समूहको नाम | पहुँच भएको निकाय वा संस्था | निकाय वा संस्थाको ठेगाना | प्राप्त हुन सक्ने सहयोग |
|---|---|---|---|---|
| १ | | | | |
| | | | | |

## १०. लक्षित समूह छलफल :

सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषणका विभिन्न औजारको प्रयोबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्कको पुनरावलोकन, अनुगमन वा परीक्षण र छुटेका विषय पत्ता लगाउन समुदायको सानो समूहमा छलफल गर्नु नै लक्षित समूह छलफल हो । समुदायका महिला, सिमान्तीकृत वर्ग, बूढापाका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजातिसमेत सबै वर्गलाई समेटेर यसप्रकारको छलफल गर्नु पर्छ । यस्तो छलफलमा सबै सहभागीलाई समान रूपले आफ्ना विचार र भनाइ राख्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । यस प्रक्रियाबाट प्राप्त सूचनालाई निम्नअनुसारको ढाँचामा सूचीकृत गर्नु पर्छ :

गाविस : ..... ..... वडा नं. समुदाय :..... समूह : महिला/अपाङ्गता/दलित आदि

| **क्र. सं.** | **समस्या** | **कारण** | **कारक तत्व** | **प्रभाव** | **सम्भावित समाधानका उपाय** | **कैफियत** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | विपद् र विपद्का सवाल | | | | | |
| २ | जीविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षा | | | | | |
| ३ | खानेपानी तथा सरसफाइ तथा महामारी | | | | | |
| ४ | अन्य | | | | | |

## ११. प्रत्यक्ष अवलोकन :

माथि उल्लेख भएका औजारको प्रयोगबाट प्राप्त नतिजालाई पुनरावलोकन तथा परीक्षणका लागि प्रत्यक्ष अवलोकन विधि प्रयोविधि अपनाइन्छ । सङ्कटासन्न क्षेत्र, समुदाय, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन, भौतिक संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि गर्नु पर्ने कामको सही पहिचान गर्न यस औजारको प्रयोग गर्नु पछ । अवलोकनका क्रममा प्राप्त नतिजालाई निम्न ढाँचामा सूचीकृत गरी विश्लेषण गर्नु पर्नेछ :

| क्र. सं. | अवलोकन गरिएको स्थान | विपद्को प्रमुख समस्या | उपलब्ध क्षमता | समुदायका आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|
| १ | | | | |
| | | | | |

## १२. ध्यान दिनु पर्ने विषय :

माथि उल्लिखित सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषणका औजार (VCA tools) हरू प्रयोग गरी सूचना सङ्कलन गर्दा निम्न विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ :

क) समुदायका सङ्कटासन्न वर्गहरू, महिला, दलित, जनजाति, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, समुदायमा कार्यरत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।

ख) विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा दैनिक जीवनयापनका सन्दर्भमा उपयोग हुने निम्न पाँच प्रकारका पूँजीको उपलब्धता तथा उपयोगको शूक्ष्म विश्लेषण गर्नु पर्नेछ :

**सामाजिक पूजी :** जातजाति, बसोवासको अवस्था, लिंग, समूहहरू, नेतृत्व, सङ्घसंगठन र सदस्यता, सामाजिक मेलमिलाप, आपसी सर-सहयोग, आदि ।

**मानवीय पूजी :** ज्ञान र सीप तथा विशेष दक्षता भएका व्यक्तिहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, पारिवारिक आकार, रोजगारी र यसको अवसर आदि ।

**प्राकृतिक पूजी :** जमिन र यसको प्रकार, जमिन बचावटको तौरतिरका (बाढी र पहिरोको रोकथाम गरेर, वृक्षारोपण गरेर, आदि), उत्पादनको अवस्था (अन्नवाली, नगदेवाली, तरकारी र अन्य), जलस्रोत, वनले ढाकेको क्षेत्र, आदि ।

**भौतिक पूजी :** सडक, यातायात, पुलपुलेसा, बजार, होटल, विद्यालय, कृषि र पशु सेवा केन्द्र, सुरक्षा चौकी, पूर्वचेतावति प्रणाली, उद्दार र राहत सामाग्रीहरूको पर्याप्तता, आवास घर, चर्पी, खानेपानीको अवस्था, सिंचाइ, विद्युत र संचार सेवा, घरहरूको भौतिक अवस्था, गोवर ग्यास आदि ।

**वित्तिय पूजी** : नगद, जिन्सी, कृषि, पशुपालन, पेन्सन, वैदेशिक रोजगार, बचत तथा ऋण समूह, सहकारी, स्थानीय स्रोत साधनहरू आदि ।

अनुसूची-६

(दफा ८ (घ) सँग सम्बन्धित)

समुदाय तथा वडाहरुको सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषण

क. सङ्कटासन्नता स्तरीकरण : विगतको क्षति विश्लेषण गरी त्यबाट प्राप्त अङ्कभारलाई जोडेर समुदाय र वडाको उच्च, मध्यम र न्यून गरी तीन वर्गमा निम्नअनुसार सङ्कटासन्नता स्तरीकरण गर्नु पर्नेछ :

नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति : ..... विपद् :

| वडा नं. | मानवीय क्षति (२५ प्रतिशत अङ्कभार) | प्रभावित परिवार ( १५ प्रतिशत अङ्कभार) | घरको क्षति (१५ प्रतिशत अङ्कभार) | आर्थिक क्षति (१५ प्रतिशत अङ्कभार) | खेतीयोग्य भूमि क्षति (१५ प्रतिशत अङ्कभार) | सामाजिक क्षति (१५ प्रतिशत अङ्कभार) | कूल अङ्कभार (१०० प्रतिशत अङ्कभार) | सङ्कटा-सन्नता स्तरीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## ख. सङ्कटासन्नता स्तरीकरण अङ्कभार आधार

| क्र. सं. | जोखिममा रहेका तत्व | क्षतिको सूचक | अङ्कभार | प्राप्ताङ्क | वर्गीकरण मापन भार |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मानवीय मृत्यु | ०-१ जना | १ | ०.०४२ | २५% |
| | | २-३ जना | २ | ०.०८३ | |
| | | ४-५ जना | ३ | ०.१२५ | |
| | | ६ भन्दा माथि | ४ | ०.१६७ | |
| २ | प्रभावित परिवार | ५० परिवार | १ | ०.०२५ | १५ प्रतिशत |
| | | ५१-१०० परिवार | २ | ०.०५० | |
| | | १०१-३०० परिवार | ३ | ०.०७५ | |
| | | ३०१ परिवार भन्दा माथि | ४ | ०.०९९ | |
| ३ | क्षतिग्रस्त घर | ०-५ घर | १ | ०.०२५ | १५ प्रतिशत |
| | | ६-१५ घर | २ | ०.०५० | |
| | | १६-५० घर | ३ | ०.०७५ | |
| | | ५० भन्दा बढी घर | ४ | ०.०९९ | |
| ४ | आर्थिक क्षति | ५ लाख रुप्रयाँसम्म | १ | ०.०२५ | १५ प्रतिशत |
| | | ५ लाख १ रूपैयाँदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म | २ | ०.०५० | |
| | | १५ लाख १ रूपैयाँदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्म | ३ | ०.०७५ | |
| | | २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढीका लागि | ४ | ०.०९९ | |
| ५ | खेतीयोग्य जमिन कटान | पाँच बिगाहासम्मका लागि | १ | ०.०२५ | १५ प्रतिशत |
| | | पाँच बिगाहादेखि १० बिगाहासम्म | २ | ०.०५० | |
| | | दस बिगाहादेखि २० बिगाहासम्म | ३ | ०.०७५ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | २० बिगाहाभन्दा माथि | ४ | ०.०९९ | |
| ६ | सामाजिक प्रभाव | | | | १५ प्रतिशत |
| ६.१ | | मानिस हराएमा | १ | ०.०२५ | |
| ६.२ | | महिला हिंसा भएमा | | ०.०२५ | |
| ६.३ | | लुटपाट, हिंसा र अन्य सामाजिक अपराध | | ०.०२५ | |
| ६.४ | | सामुदायिक संस्था निस्क्रिय भएमा | | ०.०२५ | |
| | जम्मा | | | | |

**स्पष्टीकरण :**

उल्लिखित तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा ६ भागमा विभाजित क्षतिको स्तरअनुसार अङ्क दिने र प्राप्त अङ्कलाई ६ ले भागा गरी प्रतिशतले गुणन गरी १०० ले भागा गरी निस्केको मान नै अङ्कभार हुनेछ । जस्तै माथि नं. १ मा यदी एक जना मानिसको मृत्यु भएको भए त्यसमा १ अङ्क दिइन्छ । सो अङ्कलाई ६ ले भाग गरी २५ ले गुणन गरेर १०० ले भागा गर्‍यो भने ०.०४१७ मान निस्किन्छ । उपोक्तमबोजिम तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा क्षतिको स्तरका आधारमा निम्नअनुसारको अङ्कभार कायम गरी स्तरीकरण गर्नु पर्नेछ :

| क्र.सं | अङ्कभार | स्तर |
|---|---|---|
| | ०.७ देखि ०.७९ अङ्कभार | उच्च सङ्कटासन्न |
| | ०.६ देखि ०.६९ अङ्कभार | मध्यम सङ्कटासन्न |
| | ०.५९ भन्दा कम अङ्कभार | न्यून सङ्कटासन्न |

## अनुसूची-७
## (दफा ८ (ङ) सँग सम्बन्धित)
## सङ्कटासन्नता, क्षमता तथा जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदनको नमुना

### १. नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको प्रमुख सङ्कटासन्नता :

जलवायु, हावापानी आदिको अवस्था र प्रभाव ।

- प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तै जलसम्पदा, ताल, पोखरी, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा आदि ।
- नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति भित्र भएर बग्ने खोलानाला तथा नदी तिजबाट पर्ने प्रभाव
- सडकको अवस्था कालोपत्रे .....किमि, कच्ची मोटरबाटो .....किमि, गोरेटो .....किमि

१.४ भू-उपयोग : कृषि, वन, खेर गइरहेको, पानीले ढाकेको चरन, अवास आदि

### २. जनसङ्ख्याको विवरण :

| वडा न | घरधुरी विवरण | | | | जनसङ्ख्या | | | अपाङ्गताको विवरण | | अवस्था अनुसार जनसङ्ख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दलित | जनजाति | अन्य | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा | किसिम | संख्या | ५ वर्ष मुनिका | १२-१२ वर्षका बालबालिका | ६० वर्ष माथिको जनसङ्ख्या |
| १ | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | |
| ११ | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | | | | | | | | |

**३. प्रकोपका अवस्था :** (अनुसूची ५ को १, २ र ३ बमोजिम प्रकोप पात्रो, प्रकोपको स्तरीकरण र प्रकोपको ऐहिासिक समयरेखाबाट प्राप्त नतिजा लेख्ने)

### ४ स्रोतको उपलब्धता तथा पहुच

| विवरण | नाम र रहेको स्थान (कहाँ) | सङ्ख्या (कति) | क्षमता | अवस्था | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| भौतिक स्रोत | | | | | |
| पुल | | | | | |
| सडक | | | | | |
| बाँध | | | | | |
| विद्यालय भवन | | | | | |
| मदरसा | | | | | |
| सुरक्षित आवास तथा स्थान | | | | | |
| सामुदायिक चर्पी | | | | | |
| सञ्चारका साधन | | | | | |
| यातायतका साधन | | | | | |
| पूर्वसूचना प्रणाली | | | | | |
| लाइफ ज्याकेट | | | | | |
| डुङ्गा | | | | | |

| मानवीय स्रोत | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| आधारभूत खोज तथा उद्धार तालिम प्राप्त जनशक्ति | | | | | |
| जिल्ला विपद् प्रतिकार्य सम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्ति | | | | | |
| पौडीबाज | | | | | |
| प्राथमिक उपचार तालिम प्राप्त | | | | | |
| ग्रामिण महिला स्वास्थ्य कार्यकता | | | | | |
| कृषिसम्बन्धी तालिम प्राप्त | | | | | |
| शिक्षक | | | | | |
| कर्मचारी | | | | | |
| स्वयंसेवक | | | | | |
| सिकमी | | | | | |
| डकर्मी | | | | | |
| अन्य सीप ( उल्लेख गर्नु पर्नेछ) | | | | | |
| सामाजिक स्रोत | | | | | |
| सामुदायिक भवन | | | | | |
| पाटी पौवा | | | | | |
| धारा | | | | | |
| मठ मन्दिर | | | | | |
| सामाजिक संरचना | | | | | |
| महिला घरमूली | | | | | |
| महिला/आमा समूह | | | | | |
| आयआर्जनमा सक्रिय महिला समूह | | | | | |
| निर्णय तहमा भएका महिला | | | | | |
| शैक्षिक अवस्था ( म/पु | | | | | |
| आर्थिक स्रोत | | | | | |
| व्यापार व्यवसाय | | | | | |
| उद्योग कलकारखाना | | | | | |
| नोकरी | | | | | |
| बचत समूह | | | | | |
| समूहको कोष रु | | | | | |
| आपत्कालीन कोष रु | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| बैङ्क तथा वित्तीय संस्था | | | | | |
| प्राकृतिक स्रोत | | | | | |
| खेतीयोग्य भूमि | | | | | |
| अन्य (उल्लेख गर्नु पर्नेछ) | | | | | |
| निजी ताल तलैया | | | | | |
| निजी ताल तलैया | | | | | |
| सार्वजनिक धारा | | | | | |
| कुवा | | | | | |
| नदीनाला | | | | | |
| ताल तथा पोखरी | | | | | |
| सिँचाइको साधन र स्रोत | | | | | |
| वनजङ्गल ( हेक्टर वा रोपनी) | | | | | |
| खेर गइरहेको जमिन | | | | | |
| खेती गरिने मुख्य बाली | लगाउने समय | बाली थन्क्याउने समय | उत्पादन मे टन | प्रयोग गरिने मल | बिउको उपलब्धता |
| धान | | | | | |
| मकै | | | | | |
| गहु | | | | | |

**नोट : १०,००० वर्ग मी वा २० रोपनी वा ३० कठ् ठा = १ हेक्टर**

## ५. पार्श्वचित्र मूल अंश :

अनुसूची ४ देखि ७ सम्मको विश्लेषणबाट प्राप्त परिणाम उल्लेख गरी आवश्यक देखिएका सुझाव प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । पार्श्वचित्रको अन्तिममा विश्लेषणका सबै अनुसूचीहरु संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

## अनुसूची- ८
## (दफा ८ (च) सँग सम्बन्धित)
## जोखिम व्यवस्थापन क्रियाकलापको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण

समुदाय हुँदै वडा र समग्र गाविसको सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा गाविसमा सञ्चालन गर्नु पर्ने विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्रियाकलाप पहिचान गरी सूचीकृत गर्दा तिनको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ । क्रियाकलापको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण ( उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्रियाकलापलाई १ नं.दिने )

निम्नबमोजिमको ढाँचामा समुदायसमेत स्पष्ट हुनेगरी सूचीकृत गर्नु पर्नेछ :

| वडा नं. | समुदायको नाम | प्रमुख जोखिम | क्रियाकलाप | प्राथमिकता नं. | पुष्टयाइँ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

स्रोत र त्ययकि को प्रयोगलाई सबै स्थानमा मिलाएर राख्नु पर्ने

## अनुसूची- ९
## (दफा ८ (छ) सँग सम्बन्धित)
## स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा

# स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना
# (Local Disaster Risk Management Plan Template)

..... नगरपालिका

.....जिल्ला

तयार गरेको मिति : .....साल.....महिना

सन्देश : जिल्ला विकास समिति अधिकारीबाट कुनै सन्देश प्राप्त भए राख्ने ।

कृतज्ञता ज्ञापन : नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति प्रमुखबाट योजना तर्जुमा र यसको कार्यान्वयनबारे सहयोगीलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ राख्ने ।

विषयसूची : योजनाको स्वरुपअनुसार विषयसूची तयार गरेर राख्ने ।

**खण्ड - १ : परिचय**

**१.१ पृष्ठभूमि :** नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको छोटो र तथ्याङ्कीय परिचय दिने । परिचय दिँदा सङ्कटासन्नता, जोखिम र क्षमता विशलोषण प्रतिवेदनलाई आधार मान्नु पर्नेछ ।

**१.२ योजनाको उद्देश्य :** यस योजनाको मूल र निर्दिष्ट उद्देश्य के हो त्यो उल्लेख गर्नु पर्नेछ । स्थानीय निकायको भौगोलिक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था अनुरुप योजनाको उद्देश्य निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

**१.३ योजनाको आवश्यकता तथा महत्व :** यो योजना किन तर्जुमा गर्नु परेको हो र यसले के गर्छ भन्ने कुरा निश्चित गरी लेख्ने ।

**१.४ योजनाका सीमा :** योजना तर्जुमा गर्दा अपनाइएको विधि, योजनाको प्रभावकारिता, आर्थिक स्रोतजस्ता के-कस्ता सीमा देखिएका छन् भन्ने कुरा छोटकरीमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यसले योजना कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्नेछ ।

**१.५ योजना निर्माण प्रक्रिया विधि :** योजना निर्माण प्रक्रियाबारे भाग २ मा भएको व्यवस्थामध्ये अपनाइएका प्रक्रियाबारे छोटकरीमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ

**१.६ योजना कार्यान्वयन रणनीति :** योजनाले निर्धारण गरेका कार्यक्रम के-कसरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट व्यवस्था गरिनुको अलावा समुदाय, सरोकारवालाको परिचालन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयलाई प्रष्ट पार्ने ।

**१.७ योजनाको अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन :** यस निर्देशिकाको भाग २ को प्रक्रिया ४ मा उल्लेख भएअनुसार नियमित अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । योजनको विस्तृत पुनरावलोकन र परिमार्जन ५ वर्षको अवधिमा गर्नु पर्नेछ ।

## खण्ड - २ : प्रकोप, सङ्कटासन्नता, क्षमता र जोखिम विश्लेषण

**२.१ प्रकोपको पहिचान तथा स्तरीकरण :** नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिमा हुने प्रमुख प्रकोप के-के हुन् भनेर पहिचान र स्तरीकरण गरेर प्राप्त नतिजा लेख्ने ।

**२.२ प्रकोप विश्लेषण :** अनुसूची ५ मा उल्लेख भएका प्रकोप विश्लेषणका औजारहरू (सामाजिक स्रोत नक्साङ्कन र सङ्कटासन्नता तथा क्षमता पहिचान, समस्या वृक्ष विश्लेषण, धरातलीय हिँडाइ, संस्थागत विश्लेषण, लक्षित समूह छलफल, प्रत्यक्ष अवलोकन) को प्रयोगबाट गरिएको विश्लेषणको नतिजालाई संक्षिप्त रूपमा निम्न ढाँचामा लेख्नुपर्नेछ :

| क्र. सं. | समस्या अथवा प्रकोप | कारण | कारक तत्व | प्रभाव | सम्भावित समाधानका उपाय |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**२.३ गाउँ तथा वडाको सङ्कटासन्नता स्तरीकरण :**

गाउँ, बस्ती, वडा नगरपाललिका तथा गाउँ विकास समितिमा विगतमा के-कस्ता प्रकोपका घटना भएका थिए, तिनको सूची तयार गरी त्यसबाट भएको क्षतिको विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । प्राप्त सूचनाको विश्लेषणबाट नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको कुन वडाको कुन वस्ती कुन प्रकोपका कारण कुन स्तरमा सङ्कटासन्न छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ । यसै आधारमा विभिन्न प्रकोपका दृष्टिले समुदाय, वडा र त्यसका कति घरपरिवार सङ्कटासन्न छन् भनेर स्तरीकरण गर्नु पर्छ

तालिका नं. ..... प्रकोपको सन्दर्भमा वडाहरूको सङ्कटासन्नता स्तरीकरण

..... प्रकोपका कारण उत्पन्न हुने विपद्को वडास्तरीय सङ्कटासन्नता निम्नअनुसार स्तरीकरण गरिएको छ :

| **वडा नं.** | **गाउँ तथा टोल** | **उच्च सङ्कटासन्न** | **मध्य सङ्कटासन्न** | **न्युन सङ्कटासन्न** | **पुस्टाईकाआधारहरु** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**२.४ नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको क्षमता विश्लेषण :**

माथि विश्लेषण गरिएको सङ्कटासन्नता र जोखिमको सामना गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न समुदायसँग के-कस्ता क्षमता विद्यामान छन् भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक पर्छ । नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति भित्र भएका स्रोतसाधनको अवस्था, स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु पर्छ ।

**२.५ जोखिम पहिचान तथा विशलेषण :**

नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको सङ्कटासन्नता र क्षमताबीच देखिएको दूरी नै जोखिमको सही चित्र हुनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक क्रियाकलाप निर्धार गर्नु पर्छ ।

## खण्ड - ३ : विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना

### ३.१ विपद् पूर्वका क्रियाकलापहरू :

| प्राथमिकता क्रम | प्रमुख समस्या तथा जोखिम | व्यवस्थापनका क्रियाकलाप | मुख्य जिम्मेवारी | स्रोतको व्यवस्था | | समय अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | आन्तरिक | बाह्य ( सहयोगी) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

### ३.२ विपद्को समयका क्रियाकलापहरू

| प्राथमिकता क्रम | प्रमुख समस्या तथा जोखिम | व्यवस्थापनका क्रियाकलाप | मुख्य जिम्मेवारी | स्रोतको व्यवस्था | | समय अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | आन्तरिक | बाह्य ( सहयोगी) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

### ३.३ विपद् पश्चात्का क्रियाकलापहरू

| **प्राथमिकता क्रम** | **प्रमुख समस्या तथा जोखिम** | **व्यवस्थापनका क्रियाकलाप** | **मुख्य जिम्मेवारी** | **स्रोतको व्यवस्था** | | समय अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | आन्तरिक | बाह्य ( सहयोगी) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

अनुसूची :

१. सहभागितामूलक क्षमता तथा सङ्कटासन्नता विश्लेषणको संक्षिप्त प्रतिवेदन (क्षमता तथा सङ्कटासन्नता नक्साङ्कन, प्रकोप नक्साङ्कन तथा स्तरीकरण, ऐतिहासिक समय रेखा, प्रकोप पात्रो, समस्या वृक्ष विश्लेषण, रोटी चित्र)

२. बैठक तथा गोष्ठीका सहभागिहरूको विवरण

३. नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको विवरण

४. वडा स्तरीय सूचना फारम (चेक लिष्ट)